प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –56 / 2023

अनवान : –

1. रणवीर सिंह भादु पुत्र महेन्द्र सिंह भादु जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सन्दीप भादु पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रेखा पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 03.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 67 / 66 की कुल 2.5300 है0 भूमि व खाता संख्या 136 / 88 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 में से 1 / 5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादीगण की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 67 / 66 की कुल 2.5300 है0 भूमि के प0 नं0 350 / 369 (52) के [illegible] की 0.253 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा शेष भूमि पर [illegible] रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 136 / 88 के कुल खसरे 11 का [illegible] 2.5300 है0 भूमि [illegible] / 5 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादीगण ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिमसें वादीगण व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब का हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 67/66 की कुल 2.5300 है0 भूमि व खाता संख्या 136/88 की कुल 2.5300 है0 में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ने अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:34 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक [illegible]

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की [illegible] प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनु[illegible] घोषणा की जाती है कि रोही मौजा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 67/66 की कुल 2.5300 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 350/369 (52) के किला नं. 18 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 136/88 की कुल 2.5300 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –56 / 2023

अनवान : –

1. रणवीर सिंह भादु पुत्र महेन्द्र सिंह भादु जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सन्दीप भादु पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रेखा पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 56 सन 2023 निर्णय दिनांक 03.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 67 / 66 की कुल 2.5300 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 350 / 369 (52) के किला नं. 18 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 136 / 88 की कुल 2.5300 है0 भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:34 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना